न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बाबूलाल बनाम राजस्थान सरकार मु0 नं0 वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/6/21	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की सहखातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 532 रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा वाकै ग्राम डिडवाना पटवार हल्का डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 532 के राजस्व रिकार्ड में भौरीलाल, हाबुडा पि0 छाजू, पांची देवी पत्नी छाजू हिस्सा 1/2 के नाम बतौर सहखातेदार नाम दर्ज है। उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी बाबूलाल पुत्र छाजूलाल का नाम सहबन से हाबुडा पुत्र छाजूलाल दर्ज हो गया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायार्थ एवं कानूनन आवश्यक है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड, भारतीय विशिष्ठ पहचान पत्र, प्राधिकरण (आधार कार्ड), बैंक पासबुक में प्रार्थी का नाम बाबूलाल पुत्र छाजुलाल बैरवा निवासी डिडवाना अंकित है। जो बिलकुल सही एवं सत्य है। आम बोल चाल मे प्रार्थी को हाबुडा कहकर बुलाते है बाबूलाल एवं हाबुडा एक ही व्यक्ति है। जो छाजूलाल की संतान है तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम बाबूलाल ही दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहबन से हाबुडा दर्ज होने से प्रार्थी को के.सी.सी. लोन तथा अन्य सरकारी योजनाओ के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है। आराजी खसरा नं0 532 रकबा 7 बीघा 01 बिस्वा वाकै ग्राम डिडवाना पटवार हल्का डिडवाना तहसील लालसोट के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 में प्रार्थी का नाम हाबुडा पुत्र छाजू को विलोपित कर उसके स्थान पर बाबूलाल पुत्र छाजूलाल किया जाना न्यायार्थ एवं कानूनन आवश्यक है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री राकेश शर्मा एडवोकेट	उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज०

ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी से रिपोर्ट तलब करने हेतु तहरीर जारी कि गयी जिस पर अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई। सहखातेदार भौरीलाल पुत्र छाजू ने प्रार्थना पत्र समर्थन मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्षकारान बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 532 रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा वाकै ग्राम डिडवाना पटवार हल्का डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थी की उक्त सहखातेदारी में नाम हाबुडा पुत्र छाजू दर्ज किया है जबकि प्रार्थी की अन्य राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेजात मे बाबूलाल पुत्र छाजूलाल होने के कारण शुद्व किये जाने योग्य है तथा प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे सहखातेदारान की सहमति पत्र पेश किया गया है जो शामिल मिसल किया गये तथा प्रार्थी के अशुद्व नाम हाबुडा पुत्र छाजू को विलोपित कर उसके स्थान पर बाबूलाल पुत्र छाजूलाल शुद्व करवाये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का अवलोकन व मनन किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 532 रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा वाकै ग्राम डिडवाना पटवार हल्का डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के अशुद्व नाम हाबुडा पुत्र छाजू को विलोपित कर उसके स्थान पर बाबूलाल पुत्र छाजूलाल शुद्व किया जाता है। इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/06/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय से सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Gohal

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०